रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 29] नई दिल्ली, जुलाई 11—जुलाई 17, 2010, शनिवार/आषाढ़ 20—आषाढ़ 26, 1932
No. 29] NEW DELHI, JULY 11—JULY 17, 2010, SATURDAY/ASADHA 20—ASADHA 26, 1932

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और केन्द्रीय जल आयोग अननुसचिवीय समूह 'ग' पद (इंजीनियरी सर्विसेज) भर्ती नियम, 2002 को, अधिक्रांत करते हुए, जहां तक इनका संबंध कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और मैकेनिकल) के पद से है, उन बातों के सिवाय जहां ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग में कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और मैकेनिकल) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और आरंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल आयोग, कनिष्ठ इंजीनियर (सिविल और मैकेनिकल), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2010 होगा ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, उससे संबंधित उनका वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(13)	(14)
Group 'B' Departmental Promotion Committee (for confirmation) consisting of :— 1. Chief Engineer, Central Water Commission —Chairman 2. Director (Establishment) or Deputy Secretary (Establishment), Ministry of Water Resources Central Water Commission —Member 3. Secretary, Central Water Commission —Member 4. Director, Central Water Commission —Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[No. 10/2010/F. No. 35/3/2009-Estt. I]

K. RAJAPPA, Under Secy.

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2010

सा.का.नि. 115.—जबकि कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 में और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार इससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों के बारे में कतिपय मसौदा नियमों को जिनका प्रकाशन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 10 मई, 2010 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 87, के माध्यम से भारत के राजपत्र के भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में किया गया था, जिसके लिए 15 मई, 2010 को उक्त मसौदा नियमों के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने तक इससे प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों से आपत्तियां तथा सुझाव आमंत्रित किये गये थे, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करा दिया गया था ।

और जबकि उक्त राजपत्र की प्रतियां 15 मई, 2010 से सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध करा दी गयी थीं ।

और जबकि, इस संबंध में किसी भी व्यक्ति से कोई आपत्ति अथवा सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 95 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम से परामर्श के बाद कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) निमय, 1950 में और संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है; अर्थात् :-

(1) इन नियमों को कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) (द्वितीय संशोधन) नियम, 2010 कहा जाए ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी माने जाएंगे ।

(3) कर्मचारी राज्य बीमा (केन्द्रीय) नियम, 1950 के नियम 20 में, "14,300-18,300" अंकों के स्थान पर "37,400-67,000-8900 रुपये के ग्रेड वेतन के साथ" अंक एवं शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

[सं. एस-38012/2/2008-एसएस-1]

एस. डी. जेवियर, अवर सचिव

पाद टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में अधिसूचना संख्या का.नि.आ. 212 दिनांक 22 जून, 1950 के तहत प्रकाशित तथा बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधित किए गए थे :-

1. सा.का.नि. 80 दिनांक 9-1-1960
2. सा.का.नि. सं. 1200 दिनांक 27-9-1960
3. सा.का.नि. सं. 594 दिनांक 29-3-1963
4. सा.का.नि. सं. 240 दिनांक 6-2-1964
5. सा.का.नि. सं. 1834 दिनांक 18-12-1964
6. सा.का.नि. सं. 474 दिनांक 19-3-1965
7. सा.का.नि. सं. 1082 दिनांक 29-6-1966
8. सा.का.नि. सं. 545 दिनांक 14-4-1967
9. सा.का.नि. सं. 500 दिनांक 6-3-1968
10. सा.का.नि. सं. 677 दिनांक 29-3-1968
11. सा.का.नि. सं. 1106 दिनांक 22-5-1968
12. सा.का.नि. सं. 2113 दिनांक 28-11-1968
13. सा.का.नि. सं. 306 दिनांक 7-3-1974
14. सा.का.नि. सं. 1122 दिनांक 1-10-1974
15. सा.का.नि. सं. 56 दिनांक 23-12-1976
16. सा.का.नि. सं. 60 दिनांक 5-1-1982

17. सा.का.नि. सं. 129 दिनांक 9-2-1987
18. सा.का.नि. सं. 199 दिनांक 6-3-1990
19. सा.का.नि. सं. 76 दिनांक 22-1-1991
20. सा.का.नि. सं. 368 दिनांक 27-3-1992
21. सा.का.नि. सं. 522 दिनांक 16-11-1996
22. सा.का.नि. सं. 582(अ) दिनांक 23-12-1996
23. सा.का.नि. सं. 225 दिनांक 21-4-1997
24. सा.का.नि. सं. 226 दिनांक 22-4-1997
25. सा.का.नि. सं. 185 दिनांक 1-9-1998
26. सा.का.नि. सं. 129 दिनांक 29-3-2000
27. सा.का.नि. सं. 210 दिनांक 27-3-2001
28. सा.का.नि. सं. 28 दिनांक 2-1-2004
29. सा.का.नि. सं. 172(अ) दिनांक 4-3-2004
30. सा.का.नि. सं. 316 दिनांक 18-9-2004
31. सा.का.नि. सं. 322(अ) दिनांक 17-5-2005
32. सा.का.नि. सं. 591(अ) दिनांक 22-9-2006
33. सा.का.नि. सं. 465(अ) दिनांक 4-7-2007
34. सा.का.नि. सं. 685(अ) दिनांक 31-10-2007
35. सा.का.नि. सं. 254(अ) दिनांक 31-3-2008
36. सा.का.नि. सं. 207(अ) दिनांक 27-11-2008
37. सा.का.नि. सं. 136, दिनांक 14-09-2009
38. सा.का.नि. सं. 349 (अ) दिनांक 26-4-2010

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

New Delhi, the 14th July, 2010

G.S.R. 115.—Whereas certain draft rules further to amend the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, were published as required under sub-section (1) of Section 95 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour and Employment No. G.S.R. 87, dated the 10th May, 2010, in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i), dated 15th May, 2010 for inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby till the expiry of the period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India in which the said notification was published, were made available to the public.

And whereas, the copies of the said Gazette were made available to the public on the 15th May, 2010 ;

And whereas no objection or suggestion has been received from any person in this regard ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 95 of the said Employees' State Insurance Act, 1948, the Central Government, after consultation with Employees' State Insurance Corporation, hereby makes the following rules further to amend the Employees' State Insurance (Central), Rules, 1950, namely:—

1. These Rules may be called the Employees' State Insurance (Central) (2nd Amendment) Rules, 2010.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Employees' State Insurance (Central) Rules, 1950, in rule 20, for figures "14,300—18,300", the words and figures "37,400—67,000 with Grade Pay of Rs. 8900" shall be substituted.

[No.S-38012/2/2008-SS-I]

S. D. XAVIER, Under Secy.

Foot Note.— The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification Number S.R.O. 212, dated the 22nd June, 1950 and subsequently amended vide the following notifications :—

1. G.S.R. No. 80, dated 09-01-1960
2. G.S.R. No. 1200, dated 27-09-1960
3. G.S.R. No. 594, dated 29-03-1963
4. G.S.R. No. 240, dated 06-02-1964
5. G.S.R. No. 1834, dated 18-12-1964
6. G.S.R. No. 474, dated 19-03-1965
7. G.S.R. No. 1082, dated 29-06-1966
8. G.S.R. No. 545, dated 14-04-1967
9. G.S.R. No. 500, dated 06-03-1968
10. G.S.R. No. 677, dated 29-03-1968
11. G.S.R. No. 1106, dated 22-05-1968
12. G.S.R. No. 2113, dated 28-11-1968

13. G.S.R. No. 306, dated 07-03-1974
14. G.S.R. No. 1122, dated 01-10-1974
15. G.S.R. No. 56, dated 23-12-1976
16. G.S.R. No. 60, dated 05-01-1982
17. G.S.R. No. 129, dated 09-02-1987
18. G.S.R. No. 199, dated 06-03-1990
19. G.S.R. No. 76, dated 22-01-1991
20. G.S.R. No. 368, dated 27-03-1992
21. G.S.R. No. 522, dated 16-11-1996
22. G.S.R. No. 582(E), dated 23-12-1996
23. G.S.R. No. 225, dated 21-04-1997
24. G.S.R. No. 226, dated 22-04-1997
25. G.S.R. No. 185, dated 01-09-1998
26. G.S.R. No. 129, dated 29-03-2000
27. G.S.R. No. 210, dated 27-03-2001
28. G.S.R. No. 28, dated 02-01-2004
29. G.S.R. No. 172(E), dated 04-03-2004
30. G.S.R. No. 316, dated 18-09-2004
31. G.S.R. No. 322(E), dated 17-05-2005
32. G.S.R. No. 591 (E), dated 22-09-2006
33. G.S.R. No. 465(E), dated 04-07-2007
34. G.S.R. No. 685(E), dated 31-10-2007
35. G.S.R. No. 254(E), dated 31-03-2008
36. G.S.R. No. 207(E), dated 27-11-2008
37. G.S.R. No. 136, dated 14-09-2009
38. G.S.R. No. 349(E) dated 26-4-2010

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.